# न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 30/2011/अपील/एल.आर.एक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 22.2.2011
अन्तर्गत धाराः 75 (1) एफ राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

**उनवान**

1. भारतसिंह
2. गुमानसिंह
3. बलवीरसिंह

पिसरान स्व0 गिरधरसिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम नीमोला तहसील पीपल्दा जिला कोटा।

... अपीलार्थी

**बनाम**

1. छीतरसिंह तथाकथित पुत्र कानसिंह जाति तथाकथित राजपूत निवासी पुलिस लाइन रोड गलवानी ग्वालियर हाल निवासी गुलाब बाग पुलिस लाईन रोड कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलार्थी

**:::निर्णय:::**

दिनांक 9.5.2018

अपीलार्थी द्वारा न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 62/2006 बउनवान छीतरसिंह बनाम भरतसिंह वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 6.12.2010 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75(1)एफ अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि ग्राम नीमोला तहसील पीपल्दा मे श्री कानसिंह पुत्र हमीरसिंह जाति राजपूत ख0 नं0 965 रकबा 2.05 है0 के सहखातेदार काश्तकार थे कानसिंह की मृत्यु दिनांक 25.10.1971 को हो गयी थी कानसिंह की मृत्यु होने के बाद उनकी विरासत का नामान्तरकरण सं0 297 ग्राम पंचायत नीमोला द्वारा दिनांक 22.9.2001 को अपीलार्थीगण के पक्ष मे निर्णित किया गया जिससे व्यथित होकर छीतरसिंह रेस्पो0 द्वारा एक अपील उपखण्ड अधिकारी इटावा के न्यायालय मे प्रस्तुत की गई। उपखण्ड अधिकारी इटावा ने अपने निर्णय दिनांक 9.3.2006 से छीतरसिंह द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 297 निरस्त करते हुये प्रकरण तहसीलदार पीपल्दा को रिमांड कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपील सं0 48/2006 भारतसिंह वगेरा द्वारा न्यायालय हाजा मे पेश की गई। न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 18.8.2006 से अपील खारिज कर एस0डी0ओ0 इटावा के निर्णय को बहाल रखते हुये तहसीलदार पीपल्दा को निम्नाकिंत तथ्यो की जांच कर मृतक खातेदार की विरासत नये सिरे से करने हेतु निर्देशित किया गया 1. तहसीलदार पीपल्दा ग्राम निमोला मे जाकर इस आशय की पूर्ण जांच करे कि मृतक खातेदार कानसिंह के असली वारिस कौन है। 2. क्या अपीलार्थीगण मृतक खातेदार के परिवार के सजरे मे कहीं आते है? मृतक खातेदार कानसिंह के परिवार का सजरा बनाया जावे एवं वर्ष 1960–80 के बीच की ग्राम नीमोला की मतदाता सूची का भी अवलोकन किया जाये जिससे कि मृतक खातेदार के रिश्तेदारो के बारे मे सही जांच हो सके। 3. कानसिंह की पत्नी का क्या नाम था तथा क्या उनके कोई सन्तान हुई थी तथा

अपीलार्थीगण का उनसे क्या सम्बन्ध है। 4. क्या कानसिंह की खातेदारी की भूमि अपीलार्थीगण के पिता द्वारा खरीदी गई थी तथा क्या कोई पंजीकृत दस्तावेज प्रस्तुत हुआ है। 5. क्या छीतरसिंह कानसिंह से किसी प्रकार का संबन्ध रखता है तथा क्या उसके पास इस संबध मे कोई दस्तावेज उपलब्ध है। उक्त आशय के निर्णय उपरांत परीक्षण न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा ने छीतरसिंह मृतक कानसिंह का एकमात्र पुत्र, जीवित वारिस होने से मृतक कानसिंह की खातेदारी की कृषि भूमि ख0 नं0 965 रकबा 2.05 है0 वाकै ग्राम नीमोला का उसके नाम इंतकाल खोला जाकर राजस्व रिकार्ड मे अंकन किये जाने का दिनांक 6.12.2010 को निर्णय पारित किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 (1) (एफ) अन्तर्गत अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि परीक्षण न्यायालय ने सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नही किया। न्यायालय हाजा द्वारा दिये रिमांड निर्देशो की पालना नही की। परीक्षण न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गोर नही किया कि मृतक खातेदार कानसिंह ने अपने जीवनकाल मे अपीलार्थीगण के पिता गिरधरसिंह को गोद लिया था तथा गिरधरसिंह गोदपुत्र होने से उनके एक मात्र उत्तराधिकारी थे। गिरधर सिंह का स्वर्गवास हो चुका है अपीलांट गिरधरसिंह के पुत्र कानसिंह के परपोत्र होने से उनके एक मात्र उत्तराधिकारी है तथा भूमि अपने नाम दर्ज कराने के एक मात्र अधिकारी है। रेस्पो0 छीतरसिंह मृतक खातेदार कानसिंह का पुत्र व उत्तराधिकारी नही है ना ही कानसिंह से कोई संबध था। छीतरसिंह जाति काछी है जो ओ0बी0सी0 मे आती है इस कारण मृतक खातेदार कानसिंह का पुत्र एवं उत्तराधिकारी नही है। खातेदार कानसिंह ने अपीलांट के पिता को भूमि दिनांक 6.7.72 को 4000/–रूपये मे बेचान कर दिया था जबसे ही अपीलांट काबिज काश्त है। उक्त तथ्यो को नजरअदांज कर जेरअपील निर्णय दिनांक 6.12.2010 पारित करने मे तहसीलदार पीपल्दा ने त्रुटि की है। अतः अपील पेश करने मे हुई देरी क्षम्य की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर हुक्म जेरअपील निरस्त किया जावे। मृतक खातेदार का फौती नामा0 अपीलांट के पक्ष मे तस्दीक करने का आदेश प्रदान किया जावे बसूरत दीगर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमांड किया जावे कि अपीलांट को शहादत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः रिमांड निर्देशो की पालना करते हुये मुकम्मिल जांच कर नियमानुसार निर्णय पारित किया जावे।

2 अपील दर्ज रजि0 की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/समन आहूत किया गया। रेस्पो0 के उपस्थित नही होने पर तामील पूर्ण मानते हुये, अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण में बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एक पक्षीय सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहसीलदार पीपल्दा ने सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नही किया तथा न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण मे पारित निर्णय दिनांक 18.8.2006 मे दिये गये रिमांड निर्देशो की पालना नही की। इस तथ्य पर भी गोर नही किया कि मृतक खातेदार कानसिंह ने अपीलार्थीगण के पिता गिरधरसिंह को गोद लिया था। ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र पत्रावली मे उपलब्ध है। गिरधरसिंह का स्वर्गवास हो चुका है अपीलांट गिरधरसिंह के पुत्र होने से उनके एक मात्र उत्तराधिकारी है तथा भूमि अपने नाम दर्ज कराने के एक मात्र अधिकारी है। रेस्पो0 छीतरसिंह की जाति राजपूत नही बल्कि काछी है जो ओ0बी0सी0 मे आती है इस कारण मृतक खातेदार कानसिंह का पुत्र एवं उत्तराधिकारी नही है। खातेदार कानसिंह ने अपीलांट के पिता को भूमि बेचान कर दी थी जबसे ही अपीलांट भूमि पर काबिज काश्त है। तहसीलदार पीपल्दा ने उक्त तथ्यो की जांच किये बिना जेरअपील निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है। अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार पीपल्दा का निर्णय दिनांक 6.12.2010 निरस्त किया जावे तथा मृतक खातेदार का फौती नामा0 अपीलांट के पक्ष मे तस्दीक करने का आदेश प्रदान किया जावे।

4 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस एक पक्षीय विद्वान अभिभाषक अपीलांट पर मनन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। डिले कन्डोन हेतु मियाद अधिनियम की धारा 5 अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे जेरअपील निर्णय अपीलांट की अनुपस्थिति मे पारित किया जाना वर्णित करते हुये निर्णय की जानकारी 4.2.2011 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर होना अंकित किया जाकर उक्त आशय का स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया। चूंकि प्रकरण मे रेस्पो0 उपस्थित नही है। अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यो को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से न्यायहित मे डिले कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

5 अपील पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर विचार कर पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार पीपल्दा ने छीतरसिंह मृतक कानसिंह का एकमात्र पुत्र, जीवित वारिस होने से मृतक कानसिंह की खातेदारी की कृषि भूमि ख0 नं0 965 रकबा 2.05 है0 वाकै ग्राम नीमोला का उसके नाम इंतकाल खोला जाकर राजस्व रिकार्ड मे अंकन किये जाने का दिनांक 6.12.2010 को निर्णय पारित किया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नही किया तथा न्यायालय हाजा के रिमांड निर्देशो की पालना किये बगेर जेरअपील निर्णय पारित किया है। दूसरा तर्क है कि रेस्पो0 छीतरसिंह की जाति राजपूत नही बल्कि काछी है जो ओ0बी0सी0 मे आती है इस कारण मृतक खातेदार कानसिंह का पुत्र एवं उत्तराधिकारी नही है। अपीलांट के उपरोक्त तर्क के संदर्भ मे न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण मे पूर्व पारित निर्णय 18.8.2006 का अवलोकन किया गया जिसमे तहसीलदार पीपल्दा को निम्न उल्लेखित तथ्यो की जांच कर मृतक खातेदार की विरासत नये सिरे से करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये थे।

1. तहसीलदार पीपल्दा ग्राम निमोला मे जाकर इस आशय की पूर्ण जांच करे कि मृतक खातेदार कानसिंह के असली वारिस कौन है।
2. क्या अपीलार्थीगण मृतक खातेदार के परिवार के सजरे मे कहीं आते है? मृतक खातेदार कानसिंह के परिवार का सजरा बनाया जावे एवं वर्ष 1960–80 के बीच की ग्राम नीमोला की मतदाता सूची का भी अवलोकन किया जाये जिससे कि मृतक खातेदार के रिश्तेदारो के बारे मे सही जांच हो सके।
3. कानसिंह की पत्नी का क्या नाम था तथा क्या उनके कोई सन्तान हुई थी तथा अपीलार्थीगण का उनसे क्या सम्बन्ध है।
4. क्या कानसिंह की खातेदारी की भूमि अपीलार्थीगण के पिता द्वारा खरीदी गई थी तथा क्या कोई पंजीकृत दस्तावेज प्रस्तुत हुआ है।
5. क्या छीतरसिंह कानसिंह से किसी प्रकार का संबन्ध रखता है तथा क्या उसके पास इस संबध मे कोई दस्तावेज उपलब्ध है।

6 तहसीलदार पीपल्दा द्वारा न्यायालय हाजा का अपील प्रकरण 48/2006 बउनवान भारतसिंह वगेरा बनाम छीतरसिंह मे पूर्व पारित निर्णय दिनांक 18.8.2006 मे विवेचित उक्त रिमांड निर्देशो/तथ्यों की बिन्दूवार जांच नही किया जाना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति मे उक्त तथ्यो/रिमांड निर्देशो की जांच किये बिना तहसीलदार पीपल्दा द्वारा प्रकरण मे पारित किये गये जेरअपील निर्णय दिनांक 6.12.2010 को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। फलत् अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जेरअपील निर्णय दिनांक 6.12.2010 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार पीपल्दा को उभय पक्षकारान को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का विधिवत समुचित अवसर प्रदान करते हुये, न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व मे अपील प्रकरण सं0 48/2006 बउनवान भारतसिंह वगेरा बनाम छीतरसिंह मे पारित निर्णय दिनांक 18.8.2006 मे दिये गये उक्त विवेचित रिमांड निर्देशो/तथ्यों की बिन्दूवार जांच कर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु रिमांड/प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

7 विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आशिंक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार पीपल्दा द्वारा प्रकरण संख्या 62/2006 बउनवान छीतरसिंह बनाम भरतसिंह वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 6.12.2010 अपास्त किया जाता है। प्रकरण उभय पक्षकारान को विधिवत सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व मे अपील प्रकरण सं0 48/2006 बउनवान भारतसिंह वगेरा बनाम छीतरसिंह मे पारित निर्णय दिनांक 18.8.2006 मे दिये गये रिमांड निर्देशो/तथ्यों की बिन्दूवार जांच कर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार पीपल्दा को रिमांड/प्रतिप्रेषित किया जाता है।

8 निर्णय आज दिनांक 9.5.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर मेरे ईजलास सुनाया गया।

( प्रियंका गोस्वामी )
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा